

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक: ओ.यू./१२५/२०१८

दिनांक-२५-९-२०१८

सूचना

विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./१३५/२०१८ दिनांक २५-०४-२०१८ द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों/निदेशकों से अपेक्षा की गयी थी कि परामर्श सत्र की समाप्ति के ०३ माह के अन्दर परामर्श देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि बिलम्ब से प्राप्त परामर्श देयकों के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त व्यवस्था सूचना निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक २५-०४-२०१८ से प्रभावी है।

निर्गत सूचना दिनांक २५-०४-२०१८ को वेबसाइट पोर्टल तथा अध्ययन केन्द्र लॉगिन पर अपलोड कर दी गयी थी, तथा सत्र २०१८-१९ की प्रवेश-विवरणिका में भी पृष्ठ सं. २० पर अंकित कर दी गयी है, परन्तु अधिकांशतः अध्ययन केन्द्रों द्वारा सत्र २०१७-१८ से सम्बन्धित परामर्श देयकों को विश्वविद्यालय में अद्यतन उपलब्ध/प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः समस्त अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों/निदेशकों को पुनः सूचित किया जाता है कि सत्र २०१७-२०१८ के परामर्श देयकों को दिनांक २०-१०-२०१८ तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में दिनांक २०-१०-२०१८ के पश्चात् प्राप्त, सत्र २०१७-१८ के परामर्श देयकों के भुगतान पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

३-/-

कुलसचिव

पृ. संख्या: ओ.यू./१२५/२०१८

तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विद्याशाखा/विभाग/अनुभाग, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. वित्त अधिकारी, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. परामर्श प्रकोष्ठ, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. श्री शहबाज अहमद, टेक्निकल ऑफिसर (वेबसाइट डेवलपर) को वेबसाइट पोर्टल तथा अध्ययन केन्द्र लॉगिन पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

कुलसचिव